फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रामचंद बनाम विपक्षी : श्री गोपाल लाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 75/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 12 की तरफ से मूल वाद मे वकालत पत्र अधिवक्ता श्री चेतन प्रकाश मेनारिया द्वारा पेश किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमती जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु सहमती जताई ताकि प्रकरण मे वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस मे सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा संग्रामपुरा पटवार हल्का अमरपुरा (जागीर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 228 की आराजी नम्बर 1175, 1176, 1177, 1178, 1299, 1300, 552, 553, 554, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 622, 623 किता 18 रकबा 2.5600 है. भूमि व खाता संख्या नया 227 की आराजी न. 1631/617, 616, 625 किता 3 रकबा 0.2500 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:49:46 IST
Reason: SelfAttested